बिहार सरकार,
बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग

आदेश

राज्य सरकार के 7 निश्चयों में से एक "आर्थिक हल, युवाओं को बल" के अधीन कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन हेतु कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी थी । उक्त के आलोक में राज्य में विभिन्न केन्द्रों को कुशल युवा प्रोग्राम संचालित करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। जिला कौशल प्रबंधक से प्राप्त प्रतिवेदन जिसमें केन्द्रों के संचालन में अनियमितता यथा Finger print, Impersonation का उल्लेख किया गया है के आलोक में बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या–1114 दिनांक–6.11.2019 के द्वारा संबंधित संस्थानों से स्पष्टीकरण पूछा गया था ।

औरंगाबाद जिला अन्तर्गत Techinaut Institute of Technology KYP code 04010038 से प्राप्त स्पष्टीकरण को सम्यक विचारोपरान्त अस्वीकृत किया जाता है ।

मानव कल्याण आवाम विकास संस्थान, भागलपुर KYP code 01010003 एवं Network – Alliance for non profit activities acknowledge Rohtas KYP code 06060016 के द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब बिहार कौशल विकास मिशन को उपलब्ध नहीं कराया गया है । जिससे स्वतः स्पष्ट है कि स्पष्टीकरण में अंकित किये गये तथ्य संस्था को स्वीकार्य है ।

अतः समीक्षो उपरान्त Techinaut Institute of Technology KYP code 04010038 के माह जुलाई, 2019, मानव कल्याण आवाम विकास संस्थान, भागलपुर KYP code 01010003 के माह सितम्बर, 2019 एवं Network – Alliance for non profit activities acknowledge Rohtas KYP code 06060016 के माह जुलाई, 2019 बैच के Final Invoice से 40% के राशि की कटौती किया जाता है । मिशन प्रबंधक, वित्त एवं लेखा को आदेश दिया जाता है कि वे उपरोक्त केन्द्रों के संबंधित माह के Final Invoice से 40% के राशि की कटौती करना सुनिश्चित करें ।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

19.03.2020

(रंजिता,भा०प्र०से०)
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।

ज्ञापांक–BSDM/SDM–~~18/2017(उमउ-1)~~ 70/2019 – 311 पटना,दिनांक– 19/3/2020

प्रतिलिपि–
(1) सभी संबंधित एजेंसी/केन्द्र संचालकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
(2) मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
(3) Project Director, MKCL/Project Director,E&Y को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
(4) मिशन प्रबंधक(वित्त एवं लेखा)/ मिशन प्रबंधक(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
(5) सभी जिला कौशल प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19.03.2020

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।